**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 143522 पटना, दिनांक 26/3/13

ग्रा0वि0-

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह - जिला कार्यक्रम समन्वयक

सभी उप विकास आयुक्त - सह - अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक

विषय :- मनरेगा अंतर्गत निधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश ।

संदर्भ :- विभागीय पत्रांक 10774 दिनांक 09.09.2012 |

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में विभागीय पत्रांक 10774 दिनांक 09.09.2012 का संदर्भ लिया जाय । उक्त पत्र के द्वारा मनरेगा अंतर्गत निधि प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए थे | उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक पंचायत को उनके जनसंख्या के आधार पर तीन या पांच लाख रूपये अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे हैं । अतिदेयता के भुगतान हेतु अधिक राशी उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है |

जिला द्वारा राज्य पूल खाते से निकासी कि जा रही राशियों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय पंचायतों को अत्यधिक मात्रा में राशि उपलब्ध कराई गयी है | अत: निधि अंतरण प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण आवश्यक जान पड़ता है | इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि पंचायतों को उनकी पात्रता से अधिक राशि निधि प्रबंधक जिला पदाधिकारी -सह - जिला कार्यक्रम समन्वयक से अग्रिम अनुमोदन के पश्चात हीं करेंगे | पंचायतों की पात्रता निम्नांकित है :

| | |
|---|---|
| छोटे पंचायत (जन संख्या 8888 से कम) | 3 लाख |
| बड़े पंचायत (जन संख्या 8888 से अधिक) | 5 लाख |

इस क्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि पंचायतो द्वारा कुल प्राप्त समेकित राशि भी अगर एक सीमा से उपर हो गयी है तो उनको भी आगे का राशि अंतरण, समीक्षा कर जिला

26.3.13

कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर हीं किया जायेगा । सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

| | |
|---|---|
| छोटे पंचायत (जन संख्या 8888 से कम) | 20 लाख |
| बड़े पंचायत (जन संख्या 8888 से अधिक) | 30 लाख |

पत्रांक दिनांक द्वारा CPSMS फेज- 2 के पंचायतों को सीधे राशि सेंट्रल पूल से प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है । इस क्रम में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के शाखा में अत्याधिक संख्या में एडवाइसें प्राप्त हो रही हैं, जिनको ससमय निष्पादित करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है तथा इनके कारण phase-1 के जिलों के एडवाईसें भी लंबित हो जा रही हैं । अत: यह निर्णय लिया गया है कि phase -2 की कार्रवाई 1 अप्रैल 2013 से स्थगित की जाती है । ये पंचायतें पुन: जिला निधि प्रबंधक के माध्यम से राशि प्राप्त करेंगी ।

सभी कार्यक्रम पदाधिकारी साप्ताहिक बैठको में इसका सतत अनुश्रवण करेंगे तथा ऐसे मामले यथा जिन पंचायतों के द्वारा निर्धारित सीमा के आगे राशि प्राप्त की जानी है, के कार्यों की समीक्षा कर प्रस्ताव निधि प्रबंधक को भेजेंगे ।

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

26.3.13

(अमृत लाल मीणा )

सचिव